

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये :-

वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं का उल्लेख मैनुअल संख्या 1 से 16 तक कर दिया गया है। अतः मैनुअल संख्या 17 में किसी सूचना का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।